सं.43020/2/2016-स्था. (क.IV)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

स्थापना क-IV डेस्क

***

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 19 फरवरी, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- **छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) के लिए प्राधिकृत ट्रेवल एजेन्टों से यात्रा टिकट खरीदने में छूट के संबंध में स्पष्टीकरण ।**

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 19.6.2014 के का.ज्ञा. सं. 31011/4/2014-स्था. (क) (IV) तथा एलटीसी पर यात्रा टिकट बुक करने की प्रक्रिया के संबंध में उत्तरवर्ती का.ज्ञा. का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि, मौजूदा अनुदेशों के अनुसार जब कभी कोई सरकारी सेवक हवाई जहाज द्वारा एलटीसी का दावा करता है, उसे एलटीसी यात्रा (यात्राएं) करते समय हवाई यात्रा के टिकट सीधे एयरलाइंस (बुकिंग काउन्टर्स, एयरलाइंस की वेबसाइट) या प्राधिकृत ट्रेवल एजेन्ट अर्थात् 'मैसर्स बामर लॉरी एण्ड कंपनी', 'मैसर्स अशोक ट्रेवल एण्ड टूअर्स' तथा 'आईआरसीटीसी' (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2-12-2009 के का.ज्ञा. सं. 31011/6/2002-स्था.(क) के अनुसार आईआरसीटीसी को प्राधिकृत किए जाने के स्तर तक) की सेवाओं का उपयोग करते हुए बुक कराने की आवश्यकता होती है।

2. इस संबंध में, 2010-13 की अवधि से संबंधित कई मामलों की रिपोर्ट इस विभाग में की गई है जहां सरकारी कर्मचारियों ने उस समय नियमों की जानकारी की कमी के कारण निजी ट्रेवल एजेन्टों के माध्यम से टिकट बुक करने के पश्चात् विशेष अनुमति योजना के अधीन जम्मू और कश्मीर (जे एण्ड के) और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए हवाई जहाज द्वारा एलटीसी पर यात्रा की थी। यह देखा गया है कि इन सरकारी सेवकों के दावों का प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा आरंभिक रूप से निपटान किया गया था। तथापि, जब कुछ वर्षों के बाद लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा कमियों को नोटिस किया गया तो इन दावों पर आपत्तियां उठाई गई थीं तथा ऐसे मामलों में दण्डात्मक ब्याज वसूलने के साथ वसूली करने का निर्णय लिया गया था। इन व्यक्ति विशेषों को हुई वित्तीय परेशानियों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालयों/विभागों तथा जेसीएम से इन मामलों में एकबारगी छूट प्रदान करने के लिए कई मांगें प्राप्त हो रही हैं।

3. इस मामले पर संयुक्त परामर्शदायी मशीनरी-कर्मचारी पक्ष और व्यय विभाग के परामर्श से इस विभाग में विचार किया गया है। ऐसे सरकारी कर्मचारियों, जिन्होंने जनवरी, 2010-जून, 2014 की अवधि के दौरान जेएंडके और एनईआर का भ्रमण करने के लिए हवाई जहाज द्वारा एलटीसी का लाभ लिया था और नियमों की जानकारी की कमी के कारण 'मैसर्स बामर लॉरी एण्ड कंपनी', 'मैसर्स अशोक ट्रेवल एण्ड टूअर्स' और आईआरसीटीसी' के अलावा अन्य ट्रेवल एजेंटों के माध्यम से टिकट बुक किए थे, को एकबारगी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। ऐसी छूट संबंधित मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार की सहमति से प्रदान की जाएगी। ऐसी छूट प्रदान करने से पहले सरकारी कर्मचारियों द्वारा यात्रा करते समय, उस समय लागू एलटीसी-80 की किराया सीमा और एलटीसी की अन्य शर्तों को पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि छूट के लिए केवल उन मामलों पर ही विचार किया जाता है जहां यह ज्ञात हो कि सरकारी सेवक द्वारा नेकनीयत से गलती हो गई तथा कोई अनुचित लाभ प्राप्त नहीं किया गया।

जारी....2 /-

पूर्व -पृष्ठ से:

4. इसके अलावा, इस संबंध में, यह दोहराया जाता है कि प्राधिकृत पद्धति के माध्यम से एलटीसी पर हवाई यात्रा के टिकट बुक करने के संबंध में मौजूदा अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। यह देखा गया है कि उपर्युक्त प्रावधानों को समय-समय पर दोहराए जाने के बावजूद भी, अभी तक इस विभाग को नियमों की जानकारी की कमी तथा कार्य-आकस्मिकताओं के आधार पर निजी ट्रेवल एजेंटों से टिकट बुक करने के लिए छूट मांगने के मामले प्राप्त हो रहे हैं। अतः, मंत्रालयों/विभागों से पुनः इस विभाग के दिनांक 10.12.2018 के का.ज्ञा. सं. 31011/2/2018-स्था.(क) (IV) के तहत जारी किए गए अनुदेशों का अपने कर्मचारियों के मध्य व्यापक प्रचार करना सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है। इसके बाद से, इस विभाग द्वारा कार्य की आकस्मिकताओं के आधार पर और नियमों की जानकारी की कमी के कारण छूट मांगने के मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस विभाग द्वारा केवल ऐसे मामलों पर ही विचार किया जाएगा जहां प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग इस तथ्य को प्रमाणित करें कि गलती, नेकनीयती से हुई है तथा सरकारी सेवक को अनुचित परेशानी हो रही है।

सू.ना.झा/19.2.20

(सूर्य नारायण झा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सचिव,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)

सूचनार्थ प्रेषित:

1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसदीय पुस्तकालय, नई दिल्ली।
6. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय।